न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 01 / 2015

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 जगा पुत्र सोनाजी जाति कलबी निवासी भीनमाल जिला जालोर		1 बाबू पुत्र जोईताजी
2 भैरा पुत्र सोनाजी जाति कलबी निवासी भीनमाल जिला जालोर जरिये नेक्स्टफ्रेन्ड अपीलाण्ट संख्या 1 जगा पुत्र सोनाजी जाति कलबी निवासी दांतीवास तहसील भीनमाल		2 जगा पुत्र जोईताजी जातिगण भील निवासीगण दांतीवास तहसील भीनमाल 3 तहसीलदार (भू0अ0) भीनमाल

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री त्रिलोकचन्द मेहता, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. श्री महिपालसिंह, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

–: निर्णय :–

दिनांक : 9/3/2018

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी भीनमाल द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 16 / 2012 बाबु वगैरा बनाम जगा वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 29. 12.2014 के विरूद्ध पेश की, जिसे दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स द्वारा अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा दांतीवास के खसरा नम्बर 1943, 1944, 1945 व 1946 कुल रकबा 2.84 हैक्टेयर में आवागमन हेतु अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि मौजा दांतीवास के खसरा नम्बर 1942 रकबा 2.53 हैक्टेयर में से रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को नोटिस जारी किए, जो नोटिस अपीलाण्ट संख्या 2 को व्यक्तिशः तामील भी नहीं हुआ। इसके पश्चात तहसीलदार भीनमाल से मौका जांच रिपोर्ट तलब की, जिसमें तहसीलदार भीनमाल

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

ने यह स्पष्ट अंकित किया कि मौके पर आवामन हेतु रास्ता उपलब्ध है, किन्तु उक्त रास्ते का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं है। इससे स्पष्ट साबित होता है कि रेस्पोडेन्ट्स को अपनी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता प्राप्त था, किन्तु अपीलाण्ट को हैरान व परेशान करने की नियत से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैर अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। मौके पर जिन खातेदारान् की भूमि में से आवागमन सुचारू है, वे पक्षकार संयोजित नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायायल द्वारा उक्त रास्ते को नजर अन्दाज किया। विधि के अनुसार मौके पर रास्ता होने की स्थिति में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग के तौर पर खसरा नम्बर 1931, 1936 व 1937 में रास्ता मौके पर उपलब्ध है, जिसमें से रेस्पोडेन्ट्स कदीम से आवागमन करते आ रहे है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब में दर्शित तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया। यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि धारा 251 (क) के तहत संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाते हुए पीडित को त्वरित न्याय दिया जाए, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि पीड़ित को न्याय दिलाने की आड में प्रभावित को सुना ही नहीं जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होते हुए भी रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी को सुविधाजनक उपयोग के लिए जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रदान कराने का आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया गया था। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच तहसीलदार भीनमाल से करवाई गई। तहसीलदार द्वारा जो रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, उसमें जाहिर किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1943, 1944, 1945 व 1946 में पहुँचने हेतु राजस्व रेकर्ड अनुसार कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा खसरा नम्बर 1942 में से निकटतम एवं लघुतम मार्ग प्रस्तावित किया। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत जवाब आदि को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता साबित होना मानते हुए जैर अपील आदेश के जरिये रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया की पालना करते

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। लिहाजा अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा दांतीवाडा के खसरा नम्बर 1943, 1944, 1945 व 1946 कुल रकबा 2.84 हैक्टेयर में आवागमन हेतु अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि मौजा दांतीवाडा के खसरा नम्बर 1942 रकबा 2.53 हैक्टेयर में से रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। इसके पश्चात तहसीलदार भीनमाल से मौका जांच रिपोर्ट तलब करने के आदेश पारित किए। अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो जवाब प्रस्तुत किया गया, उसमें यह जाहिर किया कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट्स की भूमि में आवागमन हेतु मौके पर खसरा नम्बर 1931, 1936 व 1937 में रास्ता उपलब्ध है, जो मौके पर चल रहा है। इस कारण वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने की स्थिति में इस धारा के तहत नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज कराने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार भीनमाल द्वारा जो मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें यह स्पष्ट अंकित किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु मौके पर खसरा नम्बर 1931, 1936 व 1937 में से रास्ता उपलब्ध है, किन्तु राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रस्तावित रास्तों का भी जिक्र किया, जिन्हे नजरी नक्शे में दर्शाया गया है। जहां तक प्रश्न राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' से सम्बन्धित है, तो उसमें यह स्पष्ट प्रावधान है कि " (1) यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नही है और (2)अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है।" प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन का वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होना सिद्ध हुआ है, जिसके कारण प्रथम दृष्टया प्रार्थी वांछित अनुतोष प्राप्ति का हकदार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वे नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण करते एवं धारा 251 (क) के आज्ञापक प्रावधानों के अनुरूप जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करते, किन्तु हस्तगत प्रकरण में यह स्थिति प्रकट होती है कि जब मौके पर रास्ता उपलब्ध था, तो प्रकरण धारा 251 (क) के तहत किस प्रकार से कवर होता था ? प्रकरण में कहीं भी यह तथ्य प्रकट नहीं हुआ

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

है कि पूर्व में जो रास्ता चल रहा था, उसे बन्द किया गया हो एवं नया रास्ता दिए जाने का कोई ठोस कारण रहा हो, ऐसा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से साबित भी नहीं होता है। इन समस्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी भीनमाल द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 16/2012 में पारित निर्णय दिनांक 29.12.2014 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त Observation के आधार पर विधिवत सुनवाई करते हुए सन्दर्भित कानून के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

यह निर्णय आज दिनांक 9/3/2015 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली